



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112021-231084
CG-DL-E-13112021-231084

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4351]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2021/कार्तिक 21, 1943

No. 4351]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021/KARTIKA 21, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2021

का.आ. 4717(अ).—भारत सरकार को लोक हित में यह आव यक प्रतीत होता है कि बिहार राज्य में “बरौनी — गुवाहाटी पाइपलाइन (बी.जी.पी.एल. लाइन)” पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिये;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आव यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः, अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप — धारा (1) द्वारा प्रदत्त क्तिर्यों का प्रयोग कराते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आ ाय कर घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप — धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रका ित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जानें के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची
बरौनी & गुवाहाटी पाइप लाइन परियोजना

राज्य : बिहार					
जिला	अंचल	मौजा	थाना नं	सर्वे नं	क्षेत्रफल हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
खगड़िया	खगड़िया	गंगौर	244	1418	00 04 69
				1691	00 00 51
				1690	00 06 15
				1678	00 09 00
				1676	00 01 90
				1679	00 09 77
				1673	00 11 28
				1672	00 00 75
				1671	00 10 43
				1670	00 02 02
				1661	00 07 00
				1663	00 01 25
				1662	00 02 00
				1550	00 02 46
				1828	00 02 68
				1827	00 00 45
				1826	00 00 10
				1829	00 01 72
				1830	00 00 20
				1833	00 00 10
				1831	00 01 90
				1832	00 00 13
				1836	00 01 70
				1837	00 00 70
				1835	00 00 80
				1834	00 02 40
				1851	00 01 75
				1854	00 02 85
				2021	00 11 33

[फा. सं. एल-14014/146/2021-जीपी-II (ई-40214)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2021

S.O. 4717(E).—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through “Barauni – Guwahati Pipeline (BGPL)” pipeline project in the state of Bihar, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited.

And, whereas it appears to the Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) the Government of India hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, GAIL (India) Limited.

SCHEDULE

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT

State : Bihar					
District	Anchal	Village	JL No.	Survey No.	Area
					Hect.- Are - Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Khagaria	Khagaria	Gangaur	244	1418	00 04 69
				1691	00 00 51
				1690	00 06 15
				1678	00 09 00
				1676	00 01 90
				1679	00 09 77
				1673	00 11 28
				1672	00 00 75
				1671	00 10 43
				1670	00 02 02
				1661	00 07 00
				1663	00 01 25
				1662	00 02 00
				1550	00 02 46
				1828	00 02 68
				1827	00 00 45
				1826	00 00 10
				1829	00 01 72
				1830	00 00 20
				1833	00 00 10
				1831	00 01 90
				1832	00 00 13
				1836	00 01 70
				1837	00 00 70
				1835	00 00 80
				1834	00 02 40
				1851	00 01 75
				1854	00 02 85
				2021	00 11 33

[F. No. L-14014/146/2021-GP -II (E-40214)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.